राजस्व प्रकरण संख्या:-49/2012 दायर तारीख 07.06.2012

कस्तुरी पुत्री होकमा जाति धाकड पत्नि नोला उम्र 72 साल व्यवसाय काश्त निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

..............वादीया

बनाम

1. प्रभू पुत्र कालू जाति धाकड उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी देवीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. केसर पत्नि कालू जाति धाकड उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी देवीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
3. भंवरलाल पिता होकमा धाकड उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
4. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियां जिला भीलवाडा

..........प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टि0एक्ट0

:–निर्णय:– दिनांक 11.05.2018

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया के पिता होकमा पुत्र चतरभुज धाकड के खातेदारी में दो अलग अलग खातों में दर्ज भूमि मौजा देवीनिवास की जमाबंदी सम्वत् 2035 से 2038 में नाम खातेदार होकमा पिता चतरभुज धाकड सा0 देह खातेदार आराजी नं0 139 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा भूमि एंव मौजा देवीनिवास की जमाबंदी सम्वत् 2035 से 2038 में खातेदार होकमा कालू पुत्र चतरभुज धाकड सा0 देह खातेदार आराजी नं0 50, 64, 65, 66, 128, 138 कुल किता 6 रकबा 29 बीघा 2 बिस्वा उक्त भूमि में वादिया के पिता का 1/2 व कालू का 1/2 हिस्सा है। वादीया के पिता की मृत्यू हो चुकी है। उनके जीवित उत्तराधिकारी वादीया पुत्री एंव प्रतिवादी नं0 3 पुत्र भवरलाल है। स्व0 होकमा खातेदारी में दर्ज भूमि खसरा नं0 139 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा में वादीया का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 3 का 1/2 हिस्सा है व अन्य खाते में दर्ज भूमि खसरा नं0 50, 64, 65, 66, 128, 138 कुल किता 6 रकबा 29 बीघा में वादीया का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं0 3 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी 1 व 2 का 1/2 हिस्सा है। स्व0 होकमा की मृत्यू के पश्चात आराजी खसरा नं0 139 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में वादिया 1/2 हिस्से की खातेदारी पाने की व आराजी 50, 64, 65, 66, 128, 138 कुल किता 6 रकबा 29 बीघा 2 बिस्वा में वादिया 1/4 हिस्से की खातेदारी पाने की अधिकारी है क्योंकि वादीया एंव प्रतिवादी नं0 1 से 3 तक हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के प्रावधानो के तहत जन्मजात हिन्दू होने के कारण अपने सम्पती संबधि अधिकार के संबंध में उक्त अधिनियम से नियंत्रित होते है। वादीया अशिक्षित एंव ग्रामीण महिला और विवाह के पश्चात अपने ससुराल में रहती है। उसके पिता स्व0 होकमाजी की मृत्यू के पश्चात खाता परिवर्तन की कोई जानकारी वादीया को नही दी गई। वादीया सामान्य क्रम में यह समझती रही कि प्रतिवादी नं0 4 के द्वारा प्रचलित विधि के अनुसार कार्यवाही कर स्व0 होकमाजी के जीवित वारीसान वादीया एंव प्रतिवादी नं0 3 के नाम पर होकमाजी की मृत्यू के पश्चात खाता खोल राजस्व अभिलेखों में खातेदारी प्रदान कर दी गई होगी और वादीया एंव प्रतिवादी नं0 03 को होकमाजी की खातेदारी में दर्ज रही भूमि बराबर हक से आ गई होगी। वादीया ने अपने पिता की सम्पती में अपने

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां (भीलवाडा)

का हक त्याग किया इसलिये वादीया आज भी अपने बनने वाले हिस्से की खातेदार है। वादीया अपने जीवित हक हिस्से की भूमि पर स्व0 होकमाजी की मृत्यू के पश्चात साधिकार काबिज है। उसे अपने हक हिस्से की भूमि का जरिये काश्त के उपयोग उपभोग का अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी नं0 3 एव प्रतिवादी नं0 1 के पिता एंव प्रतिवादीया नं0 2 के पति कालू पुत्र चतरभुज ने प्रतिवादी नं0 4 के कर्मचारीयों द्वारा खोले गये प्रस्तावित नामान्तरकरण में तत्कालीन पंचायत तिलस्वां से कुसंयोजन कर वादीया का नाम प्रस्तावित नमान्तरकरण से हटवा दिया और सीधा खाता प्रतिवादी नं0 3 एंव स्व0 कालू पुत्र चतरभुज के नाम पर खोल दिया। वादीया को न तो सुनवाई का अवसर दिया गया एंव न ही वादीया को बुलाया गया। वादीया के पीठ पीछे विधि विरुद्ध नामान्तरकरण खोला गया। प्रतिवादी नं0 4 ने पंचायत के पारित विधि विरुद्ध आदेश की राजस्व अभिलेखों में क्रियान्विती कर दी। वादीया यह समझती रही की वादीया अपने पिता की जायदाद में उसके बनने वाले हक अनुसार खातेदार दर्ज हो चुकी है। वादीया को कभी भी राजस्व अभिलेखों को देखने का काम नही पडा इसलिये वादीया को यह जानकारी नही हो पाई कि प्रतिवादी नं0 4 के राजस्व अभिलेखो में वादीया बहैसियत स्व0 होकमाजी की मृत्यू के पश्चात प्रतिवादी नं0 3 के साथ राजस्व अभिलेखों में खातेदार दर्ज नही हुई है। दिनांक 05.05.2012 को वादीया ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये राजस्व अभिलेखो को दिखाया तो उसे जानकारी मिली की वादीया का नाम वादग्रस्त जायदाद में बहैसियत खातेदार के दर्ज नही है और कूलिया मौजा देवीनिवास की भूमि प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम पर दर्ज है। प्रतिवादी नं0 3 का नाम भी वादग्रस्त जायदाद से कैसे हटा इसका स्पष्टीकरण प्रतिवादी नं0 3 ही दे सकता है। वादीया द्वारा प्रतिवादी नं0 3 से जानकारी लेने पर उसने जानकारी दी कि वह अनपढ उसका नाम खातेदारी से कैसे हटा इसकी जानकारी उसके पास नही है। मौजा देवीनिवास की तरह मौजा उमाजी का खेडा व पुरोहितो का खेडा सम्बन्धी जायदाद में भी इस प्रकार की त्रुटी है वादीया को खातेदारी से वंचित किया गया है जिसके बाबत राजस्व रिकार्ड एकत्रित किया जाकर कार्यवाही वादीया करवायेगी। वादीया ने प्रतिवादीगण को राजस्व अभिलेखो के परिपेक्ष में वादीया का नाम दर्ज करवाने की बात कही तो प्रतिवादी नं0 4 ने अपने राजस्व अभिलेखो में यह कहकर परिवर्तन से इंकार कर दिया है कि बहुत पहले का त्रुटीपूर्ण इन्द्राज है इसिलिये वह किसी प्रकार की दुरस्ती नही कर सकता है यदि सभी हितबद्ध खातेदार सहमति दे तभी कोई कार्यवाही हो सकती है। वादी ने अनुतोष चाहा कि मौजा देवीनिवास स्थित आराजी नं0 139 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा में वादीया को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादीर फरमाई जावे। मौजा देवीनिवास स्थित आराजी नं0 50, 64, 65, 66, 128, 138 कुल किता 6 रकबा 29 बीघा 2 बिस्वा में वादीया को 1/4 हिस्से का खातदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादीर फरमाई जावे। प्रतिवादी न0 1 से 3 तक को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया कि वे वादीया को उसके हक हिस्से की भूमि पर काश्त करने से नही रोके भूमि को रहन विक्रय कर विवाद उत्पन्न नही करे। अन्य अनुतोष उचित वादपत्र हो बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण सादीर फरमाई जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

11/05/18

उप खण्ड अधिकारी
डिगोलिया(भीलवाडा)

प्रतिवादीगण 1 व 2 की और से भी श्री जगदीश चन्द्र धाकड अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अधिकार पत्र मय जवाबदावा प्रस्तुत किया।

जवाबदावे में प्रतिवादीगण ने अंकित किया कि वादीया के पिता की मृत्यू कब हुई है दर्ज नही किया गया है वादीया का हक हिस्सा नही है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी प्रभुलाल के कब्जे काश्त में है। वादीया का विवाह सन् 1950 में हो गया। वादीया अपने ससुराल निवास कर रही है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू सन्

नामान्तरकरण विरासत नियमानुसार खोला गया है। वादपत्र मियाद बाहर है। वादीया को किसी प्रकार का वाद हेतु उत्पन्न नही हुआ है। वादीया का वादपत्र विधि विरुद्ध होने से निरस्त काबिल है। वादग्रस्त आराजीयात में वादीया का हक हिस्सा कब्जा काश्त नही है। अतः वादपत्र वादीया खारिज फरमाया जावे।

वादपत्र व प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया कि मौजा देबीनिवास स्थित कृषि खातेदारी भूमि खसरा नं0 139 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्व0 होकमाजी धाकड की खातेदारी भूमि होने से वादीया 1/2 हिस्से की खातेदार उनकी पुत्री होने से है व इसी प्रकार उक्त मौजे में स्थित खसरा नं0 50, 64, 65, 66, 128, 138 कुल किता 6 रकबा 29 बीघा 2 बिस्वा में उत्तराधिकारिता से वादीया का 1/4 हिस्सा है।
वादीया .....
2. आया कि वादीया अपने हक हिस्से की सीमा तक अपने हिस्से पर काश्त करने व प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 3 तक उसका हिस्सा निस्तारण नही करने हेतु रोक लगवाने की अधिकारीणी है।
.....वादीया
3. आया कि वादीया का विवाद सन् 1950 में हो जाने से वादग्रस्त जायदाद में कोई हक अधिकार नही रखती है।
.....प्रति वादीया

प्रतिवादी संख्या 3 ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर वादपत्र डिक्री किया जावे तो कोई आपत्ति नही होना अंकित किया है।

वादी ने दस्तावेज सूची मय दस्तावेज प्रतिलिपि जमाबंदी उमाजी का खेडा सम्वत् 2067 से 2070, नकल जगाबंदी सामवत् 2055 से 2058, नकल जगाबंदी सामवत् 9.11 से 1981, नकल जगाबंदी सामवत् 2039 से 2042, नकल जमाबंदी समवत् 24.9 से 1983 एंव नकल जमाबंदी समवत् 2035 से 2038 व शपथ पत्र और प्रमाण पत्र पंचायत की प्रति प्रस्तुत की है।

वादीया के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र तारीखी 16.11.2017 का प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादीया करतुरी 80 वर्ष की होकर उसकी बी0पी0 बढने से निमाग की नसे फट गई है तथा वे बोलने चलने व सुनने समझने में असमर्थ है तथा आज हाजिर अदालत होकर निशानी करने में भी असमर्थ है। वादीया का एक मात्र पुत्र गोपाल पुत्र भोला जी धाकड है जिसको वादीया के स्थान पर बयान दिया जाना आवश्यक है। जिससे वादीया के स्थान पर पुत्र को बयान दिलवाये जाने की मांग की है।

प्रार्थना पत्र के संबन्ध में बहस सुनी गयी चूँकि प्रकरण वर्ष 2014 से साक्ष्य वादी में ही लांबित चला आ रहा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुना जाकर अस्वीकार किया गया। वादी द्वारा अन्य किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से शहादत वादी बंद की गई।

प्रकरण में बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की सुनी गई।

प्रकरण में दिनांक 10.05.2018 को उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर प्रकरण को मेरिट पर गुणावगुणात्मक के आधार पर निर्णय शिविर में किये जाने हेतु उभयपक्षो ने सहमति व्यक्त की जिसरो प्रकरण को शिविर में निर्णय पारित करने हेतु रखा गया।

11/05/18

मामले में वादीया की साक्ष्य नही होने से तनकीवार विवेचन नही किया गया।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये वादपत्र को डिक्री किये जाने की मांग की।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों का ही विस्तार से जिक्र किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

वादिया अपने पिता की भूमि में से हिस्सा चाहती है वादपत्र के पैरा नम्बर 07 में नामान्तरकरण का उल्लेख किया है परन्तु नामान्तरकरण की संख्या व फैसला दिनांक का उल्लेख नही किया तथाकथित नामान्तरकरण की अपील की गई या नही स्पष्ट नहीं है। प्रश्नगत भूमि कब प्रतिवादी के नाम आयी वादपत्र में कोई वर्णन नही किया गया। संलग्न दस्तावेजो की सूची में शामिल दस्तावेज दिनांक 20.09.1983 के अनुसार उक्त भूमि कालू पिता बरारभुज के नाम आयी। इस नामान्तरकरण के कालम संख्या 16 में दर्ज विवरण अनुसार यह नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय आदेश क्रमांक/राज/83/मु0नं0 03/83 दिनांक 22.01.1983 के आधार पर इन्द्राज दुरस्ती का नामन्तरकरण दर्ज होना पाया गया। यह स्पष्ट नही है कि उक्त आदेश व नामान्तरकरण की किसी न्यायालय में अपील की गयी या नही जबकि यह अपीलीय आदेश है। वादीया यह सिद्व करने में सफल नही रही कि उक्त इन्द्राज दुरुस्ती का आदेश किस प्रकार अविधिक है। अतः वादपत्र वादीया खारीज किये जाने योग्य है।

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टि0एक्ट खारीज किया जाता है। डिक्री मुताबिक हो।

आदेश आज दिनांक 11.05.2018 को मुकाम कास्या पर लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

11/05/18

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां (केम्प कास्या)
राजस्व लोक अदालत